# राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना 800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–14 (लो0सू0अ0)/2023–24

श्री विनय कुमार, पिता–स्व. देवेन्द्र सिंह, ग्राम+पो0–डेमा, थाना–कादिरगंज, जिला–पटना–804452

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

| आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश फलक | |
|---|---|---|
| 04.05.2023 | श्री विनय कुमार, पिता–स्व. देवेन्द्र सिंह, ग्राम+पो0–डेमा, थाना–कादिरगंज, जिला–पटना–804452 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–29.04.2023 इस कार्यालय में दिनांक–03.05.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।<br><br>अपीलकर्त्ता श्री विनय कुमार ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–25.03.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।<br><br>बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम–3 (परिशिष्ट–1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में रू 10/– (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न किया है। अतः अपीलार्थी से अपील शुल्क अथवा गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का साक्ष्य की माँग करें ताकि उनका अपील आवेदन स्वीकृत कर अग्रतर कार्रवाई की जा सके।<br><br>सभी संबंधित को सूचित करें तथा अभिलेख पुनः 30.05.2023 को उपस्थापित करें।<br><br>4/5/2023<br><br>विशेष कार्य पदाधिकारी<br>–सह–<br>प्रथम अपीलीय प्राधिकार | |

# अपील वाद संख्या–14 (लो०सू०अ०)/2023–24

| आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश फलक | |
|---|---|---|
| 30.05.2023 | दिनांक-04.05.2023 को पारित आदेश क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना से प्रतिवेदन प्राप्त है। साथ ही अपीलार्थी से 10 रूपये का पोस्टल आर्डर संख्या-60F 387938 प्राप्त है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें।<br><br>विदित हो कि अपीलार्थी श्री विनय कुमार ने लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के आधार पर यह प्रथम अपील अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दायर किया गया था। लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा यह सूचित किया गया है कि उन्होंने अपने पत्रांक-आर.टी.आई.(स्था.)-40/2023-57/रा.स.(III)दिनांक-28.04.2023 के माध्यम से सूचना अपीलार्थी को भेज दिया है। उन्होंने भेजे गए पत्र की छाया-प्रति भी अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया है।<br><br>अतः अब प्राप्त अपील आवेदन पर अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।<br><br>तद्नुसार सभी संबंधित को सूचित करें।<br><br>30/5/2023<br>**विशेष कार्य पदाधिकारी**<br>**-सह-**<br>**प्रथम अपीलीय प्राधिकार** | |